न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 01/2023 | तारीख रजू:– 09.01.2023

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1. लक्ष्मीकान्त शर्मा
2. राजेन्द्र
3. रेणू

पिसरान प्रकाश

4. माया देवी पत्नी प्रकाश

जातियान ब्राह्मण, निवासी पटोंदा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली——————वादीगण

बनाम

1. गोपाल
2. मु० मीना
3. सतीश

पिसरान रामचरण

4. भगवानदेई पत्निर रामचरण
5. देवांशु
6. हिमांशु

जाति ब्राहम्ण निवासी पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली, (राज.) ।

7. दिनेश
8. रमी
9. शकुन्तला
10. सुनीता

पिसरान चिमचीराम जाति ब्राह्मण निवासी पटोंदा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली।

11. जमना पत्नि रमेश
12. जस्सो पुत्र नथुआ
13. भूरा पुत्र नथुआ
14. मच्छर पुत्र नथुआ
15. देवेन्द्र
16. खन्ना
17. हरीसिंह

पिसरान धारा

18. माखन पुत्र रामसहाय
19. लाखनसिंह पुत्र रामसहाय
20. रामा पत्नि रामसहाय

जाति जाट निवासी पटोंदा, तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली, (राज.) ।

21. तहसीलदारजी तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान ———— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा बाबत इस्तकरारहक
(दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांक :— 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पात्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1135 रकवा 43 ऐयर, 1138 रकवा 87 ऐयर किंता 2 कुल रकवा 1.30 है0 स्थित ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में वादीगण प्रत्येक वहिस्सा 7/360 के प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक वहिस्सा 7/ 450 एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 वहिस्सा 7/450, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 प्रत्येक वहिस्सा 7/90, प्रतिवादी संख्या 9 व 10 1/90—1/90 हिस्से की, प्रतिवादी संख्या 11, 2/5 हिस्से की, प्रतिवादी संख्या 12 ता 17 वहिस्सा 4/45 एवं प्रतिवादी संख्या 18 ता 21 वहिस्सा 4/45 के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक मुरारी पुत्र धूपन जोकि प्रतिवादी संख्या 12 ता 20 के चाचा रहे हैं उनके कोई वारिस नहीं होने के कारण मृतक मुरारी के 4/45 पर प्रतिवादी संख्या 12 ता 20 ही काबिज़ एवं दखिल रहे है।

वाद पात्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की जाति जमाबंदी में जाट दर्ज फरमा दी गई है जबकि वास्तव में उनकी जाति ब्राह्मण है जिसे संशोधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है, एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाना मृतक रामचरण का नाम जमाबंदी में रामचरण पत्नि रामचरण दर्ज हो रहा है जबकि उनका स्वर्गवास हो चुका है इसलिये उनका नाम खातेदारी के कॉलम से हजफ फरमाया जाकर उनका 7/540 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 5 व 6 में शामिल किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

वाद पात्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात पर केसीसी की पत्रावली बनवाने बाबत हल्का पटवारी के पास दिनांक 24.12. 2022 को आए तो उन्हें रिकॉर्ड में हुई गलती का पता चल पाया है एवं साथ ही वादीगण की खातेदारी में मु०नं० 155/17 के द्वारा स्थगन का नोट भी डाला गया है जबकि उक्त मु०नं० 155/17 वर्तमान में फैसल फरमाया जा चुका है इसके उपरान्त भी श्रीमान तहसीलदारजी द्वारा वादीगण खातेदारी में वादीगण की जाति को संशोधित करने से साफ इंकार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में दावा दायर करने की हिदायत फरमायी है इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पात्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि विनाय दावा तारीखी 24.12.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि का उपयोग, उपभोग में मजामहत् मदाखलत् पैदा करने के कारण एवं तहसीलदारजी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण की जाति को संशोधित करने से साफ इंकार करने के कारण ग्राम पटोंदा श्रीमहावीरजी में उत्पन्न हुआ है, जिसका श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पात्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि कृषि भूमि होने एवं सकूनत फरीकेन् ग्राम पटोंदा, श्रीमहावीरजी में स्थित होने के कारण उक्त दावे के सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

वाद पात्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दावा हाजा निश्चित कोर्ट फीस पर अन्दर म्याद पेश है।

वाद पात्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वादीगण निम्न इस्तदुआ की हस्ब जैल प्रार्थना करते है।

वाद पात्र के मद नं. 7 के उपमद 7 (अ) में दर्ज किया है कि दावा वांदीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषण फरमायी जावे कि आराजी ख.नं. आराजी खसरा नम्बर 1135 रकवा 43 ऐयर, 1137 रकवा 87 ऐयर किता 2 कुल रकवा 1.30 है0 स्थित ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की जाति जाट के स्थान पर ब्राह्मम्ण दर्ज फरमायी जावे साथ ही मृतक रामचरण पत्नि रामचरण के 7/540 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 में विभाजित फरमाते हुये प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक वहिस्सा 7/540 एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6' को 7 /450 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वाद पात्र के मद नं. 7 के उपमद 7 (ब) में दर्ज किया है कि वादीगण वखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 1135 रकवा 43 ऐयर, 1137 रकवा 87 ऐयर किता 2 कुल रकवा 1.30 है0 स्थित ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी से वादीगण को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे, आराजीयात को रहन व्यय नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे जिससे वादीगण के हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़े। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे।

वाद पात्र के मद नं. 7 के उपमद 7 (स) में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो करीने इंसाफ वहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण वह भी अता फरमाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पात्र के मद नं. 7 के उपमद 7 (द) में दर्ज किया है कि खर्चा दावा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 1 ता 4 ने उपस्थित होकर जबावदावा पेश कर जबाव दावा के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 1 लाइल्मी अस्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 2 स्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है, अस्वीकार है। खातेदारी चिरंजी के नाम सही हुई है।

जबाव दावा के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 4 लाइल्मी अस्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 5 जिस तरह से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। यह बात गलत है कि प्रतिवादी नं. 1 ता 4 ने प्रतिवादी नं. 5 कैलाशी की कोई जमीन बेचान की हो इस मद में वर्णित आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा नहीं है, शेष इबारत लाईल्मी अस्वीकार है।

जबाव दावा के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 6 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, अस्वीकार है। प्रतिवादी नं. 1 ता 4 ने प्रतिवादी नं. 5 को कोई बेचान नहीं किया है।

जबाव दावा के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 7 गलत है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 10.08.2020 को या इसके आस–पास वादीगण को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई दादरसी पाने का अधिकारी नहीं है।

जबाव दावा के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 8 गलत है, स्वीकार नहीं है, कोई विनाय दावा पैदा नहीं है

जबाव दावा के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 9, 10, 11 कानूनी है, जबाव की आवश्यकता नहीं है।

जबाव दावा के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 12 लाईल्मी अस्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव दावा के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं. 13 गलत है, स्वीकार नहीं है, वादीगण कोई भी दादरसी पाने के हकदार नहीं है।

जबाव दावा के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि वादपत्र के मद नं. 13 के उपमद क,ख,ग गलत है, अस्वीकार है।

उज्रात–मजीद :–

जबाव दावा के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि दावा वादीगण ने गलत पेश किया है, फरीकेन अपनी–अपनी जमीन काश्त कर रहे हैं, कोई झगड़ा मौके पर नहीं हुआ, प्रतिवादीगण को परेशान करने की नीयत से गलत दावा पेश किया है।

जबाव दावा के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि मृतक रामजीलाल ने व उसके वारिसान ने सन् 1999 में भी उपरोक्त जमीन का उनवानी रामजीलाल बनाम मुकेश बगै. मुकदमा नं. 380/99 पेश किया था जो तारीख 26.03.2010 को खारिज हो चुका है।

प्रतिवादी सं0 1 ता 10, 12, 14, 18, 19, 20 ने इकबालिया जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं01 लगायत ... वादी द्वारा जिस प्रकार तहरीर किया गये हैं, स्वीकार हैं। उक्त वाद वादी को डिक्री फरमाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 प्रदर्श –1, नकल जमाबन्दी सं0 2053–56 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 प्रदर्श–3 पेश की है तथा जुवानी सहादत में रमीचन्द शर्मा पुत्र प्रकाश जाति ब्राहम्ण निवासी पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी का शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 प्रदर्श –1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.43 है0, 1137 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली की खातेदारी अनीता पुत्र रामचरण हि0 7/540, गोपाल पुत्र रामचरण हि0 7/540, जमना पत्नि रमेश हि0 2/5, जस्सो पुत्र नथुआ हि0 1/45, दिनेश पुत्र चिमचीराम हि0 7/90, धारा पुत्र नथुआ हि0 1/45, नावा. माखनसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रामसहाय हि0 4/135, नावा. लाखनसिंह पुत्र रामसहाय हि0 4/135, भगवानदेई पत्नि रामचरण हि0 7/540, भूरा पुत्र नथुआ हि0 1/45, मच्छर पुत्र नथुआ हि0 1/45, मुरारी पुत्र धूपनराम हि0 4/45, माया पत्नि प्रकाश हि0 7/360, मीना पुत्र रामचरण हि0 7/540, रेणू पुत्री प्रकाश हि0 7/360, रमी पुत्र चिमचीराम हि0 7/90, राजेन्द्र पुत्र प्रकाश हि0 7/360, रामचरण पत्नि रामचरण हि0 7/540, रामादेवी पत्नि रामसहाय हि0 4/135, लक्ष्मीकान्त पुत्र प्रकाश हि0 7/360, शकुन्तला पुत्री चिमची हि0 1/90, सतीश पुत्र रामचरण हि0 7/540, सुनीता पुत्री चिमची हि0 1/90 जातियान जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट खसरा नम्बर 1135, 1137 पर भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम DILRMP के तहत खाता का सेग्रीगेशन किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक जमाबन्दी ग्राम में सम्पूर्ण खातों का सेग्रीगेशन होने पर ही जमाबन्दी ONLINE की जा सकती है। अतः माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा नं0 155/2017 दिनांक 29.12.2017 पूर्ण खाते कि रिकार नोट लगा हुआ है।

नकल जमाबन्दी सं0 2053–56 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.43 है0, 1137 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली की खातेदारी रामचरण, प्रकाश, रमी, दिनेश पि0 चिमची चन्द्रकला वेवा चिमची जाति ब्राहम्ण हि0 1/3, नथुवा, मुरारी, रामसहाय पिस0 धूपनराम हि0 81/200, सुगरसिंह पुत्र गिर्राज हि0 157/600 दर हिस्सा 2/3 जाति जाट निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 प्रदर्श–3 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.43 है0, 1137 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील हिण्डौन जिला करौली की खातेदारी रामचरण, प्रकाश, रमी, दिनेश पि0 चिमचीराम चन्द्रकला वेवा चिमची जाति ब्राहम्ण हि0 1/3, धारा भूरा जस्सो मच्छर पि0 नथुवा, मुरारी पुत्र धूपनराम, लाखनसिंह पुत्र रामसहाय , माखनसिंह पुत्र रामसहाय नावालिग विलायत माता मु0 रामा स्वंय, रामादेवी बेबा रामसहाय जाति जाट हि0 27/100 निवासी ग्राम, मु0 तारामणि पत्नि हरिबाबू ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन हि0 26/65 खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 864 दिनांक 05.05.2015 विक्रय पत्र से खाते में से तारामणि का हिस्सा 25/65 के बजाय जमना पत्नि रमेश जाति जाट हि0 26/65 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 928 दिनांक 06.11.2015 विरासत से रामचरण के बजाय सतीश गोपाल पि0 रामचरण, मीना अनीता पुत्री रामचरण भगवानदेई पत्नि स्व0 रामचरण तथा प्रकाश के बजाय लक्ष्मीकान्त राजेन्द्र पि0

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रकाश, रेणू पुत्री प्रकाश, माया पत्नि स्व0 प्रकाश हि0 अस्पष्ट स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 909 दिनांक 06.11.2015 विरासत से चन्द्रकला हि0 1/15 के बजाय दिनेश रमी पुत्र चिमची, शकुन्तला सुनीता पुत्री चिमचीर हि0 4/90, सतीश गोपाल पि0 रामचरण, मीना अनीता पुत्री रामचरण भगवानदेई पत्नि स्व0 रामचरण हि0 1/90, लक्ष्मीकान्त राजेन्द्र पि0 प्रकाश रेणू पुत्री प्रकाश माया पत्नि स्व0 प्रकाश हि0 1/90 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.43 है0, 1137 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली की खातेदारी अनीता पुत्र रामचरण हि0 7/540, गोपाल पुत्र रामचरण हि0 7/540, जमना पत्नि रमेश हि0 2/5, जस्सो पुत्र नथुआ हि0 1/45, दिनेश पुत्र चिमचीराम हि0 7/90, धारा पुत्र नथुआ हि0 1/45, नावा. माखनसिंह पुत्र रामसहाय हि0 4/135, नावा. लाखनसिंह पुत्र रामसहाय हि0 4/135, भगवानदेई पत्नि रामचरण हि0 7/540, भूरा पुत्र नथुआ हि0 1/45, मच्छर पुत्र नथुआ हि0 1/45, मुरारी पुत्र धूपनराम हि0 4/45, माया पत्नि प्रकाश हि0 7/360, मीना पुत्र रामचरण हि0 7/540, रेणू पुत्री प्रकाश हि0 7/360, रमी पुत्र चिमचीराम हि0 7/90, राजेन्द्र पुत्र प्रकाश हि0 7/360, रामचरण पत्नि रामचरण हि0 7/540, रामादेवी पत्नि रामसहाय हि0 4/135, लक्ष्मीकान्त पुत्र प्रकाश हि0 7/360, शकुन्तला पुत्री चिमची हि0 1/90, सतीश पुत्र रामचरण हि0 7/540, सुनीता पुत्री चिमची हि0 1/90 जातियान जाट सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट खसरा नम्बर 1135, 1137 पर भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम DILRMP के तहत खाता का सेग्रीगेशन किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक जमाबन्दी ग्राम में सम्पूर्ण खातों का सेग्रीगेशन होने पर ही जमाबन्दी ONLINE की जा सकती है। अतः माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा नं0 155/2017 दिनांक 29.12.2017 पूर्ण खाते कि रिकार नोट लगा हुआ है में साबिक रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की जाति, पुत्र के स्थान पर पुत्री का संशोधन करने के आदेश दिया जाना एवं वर्तमान जमाबन्दी में पक्षकारान के हिस्सा मुताविक साविक रिकार्ड नकल जमाबन्दी सं0 2053 से 56 के अनुसार नवीन राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश दिया जाना एवं खातेदार रामचरण पत्नि रामचरण हि0 7/540 को साबिक रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा उक्त जमाबन्दी पर मुकदमा नं0 155/2017 दिनांक 29.12.2017 का नोट हटाने के आदेश तहसीलदार श्रीमहावीरजी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस अनुसार वादीगण का दावा डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक (दुरूस्ती इन्द्राज) एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1135 रकबा 0.43 है0, 1137 रकबा 0.87 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम पटौंदा तहसील श्रीमहावीरजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारों की जाति जाट के स्थान पर जाति ब्राहम्ण एवं पुत्र के स्थान पर पुत्री मुताविक जमाबन्दी सं0 2053 से 56 एवं 2069–72 के अनुसार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा जिन खातेदारों की जमाबन्दी सं0 2053 से 56 एवं 2069–72 में जाति जाट दर्ज है उनकी जाति जाट ही वर्तमान रिकार्ड में यथावत रहेगी। खातेदार रामचरण पत्नि रामचरण हि0 7/540 को साबिक रिकार्ड के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। वर्तमान जमाबन्दी पर अंकित नोट खसरा नम्बर 1135, 1137 पर भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम DILRMP के तहत खाता का सेग्रीगेशन किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक जमाबन्दी ग्राम में सम्पूर्ण खातों का सेग्रीगेशन होने पर ही जमाबन्दी ONLINE की जा सकती है अतः माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के मुकदमा नं0 155/2017 दिनांक 29.12.2017 पूर्ण खाते कि रिकार नोट लगा हुआ है को हजफ करते हुए वर्तमान जमाबन्दी में खातेदारान के हिस्सा मुताविक जमाबन्दी सं0 2053 से 56 एवं 2069–72 के अनुसार नवीन राजस्व रिकार्ड में हिस्सा संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करते हुए वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)